पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अंबिका प्रसाद

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 9843

19 सितंबर, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री मधुरेश प्रसाद)

विचार के लिए मुद्दा

क्या प्राधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता की 100% पेंशन रोकना सही है या नहीं?

हेडनोट्स

बिहार पेंशन नियम, 1950—नियम 43(ख)—100% पेंशन की स्थायी रोक—याचिकाकर्ता बिहार सरकार का सेवानिवृत्त कर्मचारी था—याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने 2012-13 में नहर जीर्णोद्धार के दौरान सामग्री की ढुलाई के लिए ₹24.65 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान होने दिया—जांच के दौरान, याचिकाकर्ता ने माप पुस्तिका की प्रति प्रस्तुत की, जिससे पता चला कि उसने स्पष्ट रूप से "सीसा की अनुमति नहीं" अंकित किया था।

निर्णय: कथित कदाचार के 4 वर्ष से अधिक समय बाद कार्यवाही शुरू की गई, जिसमें समय सीमा का उल्लंघन किया गया—जांच में कोई गवाह/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया—निर्णय की न्यायिक समीक्षा भी विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली रिट अदालत के लिए उपलब्ध है, लेकिन जब निष्कर्ष विकृत हों और किसी भी सामग्री/गवाह के संदर्भ के बिना हों—दंड का आदेश टिकाऊ नहीं है, इसलिए, रद्द किया जाता है—समीक्षा प्राधिकरण का आदेश रद्द किया

जाता है—परिणामी आदेश रद्द किया जाता है—रिट याचिका सभी परिणामी लाभों के साथ स्वीकार की जाती है।

(कंडिका 19, 21, 23, 25, 27)

न्याय दृष्टान्त

भारत संघ एवं अन्य बनाम पी. गुणशेखरन, **(2015) 2 एससीसी 610**—पर भरोसा किया गया।

अशोक कुमार मिश्रा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, **(2003) 1 पीएलजेआर 172**—उर्मिला शर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, **(2010) 3 पीएलजेआर 845** में खारिज।

अधिनियमों की सूची

बिहार पेंशन नियमावली, 1950; बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005

मुख्य शब्दों की सूची

पेंशन; 100% पेंशन रोकना; सजा

प्रकरण से उत्पन्न

बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के अपर सचिव द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 2628 दिनांक 19/12/2019 में निहित आदेश से, याचिकाकर्ता की पेंशन का 100% स्थायी रूप से रोक लगाने का निर्देश दिया गया है।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता के लिए: श्री चितरंजन सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री बजरंगी लाल, अधिवक्ता; श्री बीरेंद्र कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री विकाश कुमार, एससी-11; श्री श्रीराम कृष्ण, एसी से एससी-11

महालेखाकार के लिए: सुश्री रितिका रानी, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 9843

==

अंबिका प्रसाद, पिता- स्वर्गीय रूप दास सिंह निवासी, मोहल्ला- पथरी घाट, त्रिपोलिया, थाना- आलमगंज, जिला- पटना

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य
2. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना
4. उप सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना
5. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वाल्मीकिनगर शिविर मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)
6. अधीक्षण अभियंता, मुख्यालय मंडल, बाल्मीकिनगर (पश्चिम चंपारण)
7. कार्यपालक अभियंता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रभाग, वाल्मीकिनगर (पश्चिम चंपारण)
8. कोषागार अधिकारी, सिंचाई भवन, पटना
9. प्रधान महालेखाकार बिहार, आर. ब्लॉक, पटना

.... उत्तरदाता/ओं

==

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री चित्तरंजन सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री बजरंगी लाल, अधिवक्ता
		श्री बीरेंद्र कुमार, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री विकास कुमार, एससी-11
		श्री श्रीराम कृष्ण, एसी से एससी-11
महालेखाकार के लिए	:	सुश्री रितिका रानी, अधिवक्ता

==

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री मधुरेश प्रसाद

<u>मौखिक निर्णय</u>

<u>दिनांक : 19-09-2023</u>

1. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना गया।

2. याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष, दिनांकित 19-12-2019 की अधिसूचना सं. 2628 (अनुलग्नक- 18) से व्यथित है, यह अधिसूचना बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग में अपर सचिव द्वारा जारी की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता की 100% पेंशन को स्थायी रूप से रोकने का निर्देश दिया गया था। यह बिहार पेंशन नियमावली, 1950 (जिसे इसके बाद '1950 नियमावली' कहा जाएगा) के नियम 43(ख) के प्रावधान के तहत की गई कार्यवाही के निष्कर्षों के अनुसार है। याचिकाकर्ता ने दिनांकित 09-09-2020 की (अनुलग्नक -20), अधिसूचना सं. 1112 में निहित है, जिसके तहत बिहार सरकारी कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2005 (इसके बाद 'सी.सी.ए. नियम, 2005' के रूप में संदर्भित) के नियम 24 (2) के तहत ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत उनकी समीक्षा को खारिज कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप दिनांकित 30-01-2020,का आदेश, ज्ञापन सं. 1416 (अनुलग्नक- 21) के माध्यम से प्रधान महालेखाकार के कार्यालय को संबोधित किया गया था, जिसमें कोषागार को याचिकाकर्ता को पेंशन और अन्य लाभों का भुगतान न करने का निर्देश दिया गया था, को भी वर्तमान रिट कार्यवाही में चुनौती दी गई है।

3. जिन तथ्यों पर विवाद नहीं है, वे हैं कि आरोप वर्ष 2012-13 से संबंधित हैं, जब याचिकाकर्ता मुख्य पश्चिमी नहर उप-मंडल में 'उप-विभागीय अधिकारी' के रूप में तैनात था। यह आरोप वाल्मीकिनगर स्थित 'मुख्य पश्चिमी नहर' उप-मंडल के जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित है, जिसमें कथित तौर पर स्थानीय सामग्री, पत्थर धातु, पत्थर का टुकड़ा और रेत का उपयोग किया गया था। इसके बावजूद, समझौते के अनुसार ढुलाई (सीसा) की अनुमति वास्तविक सत्यापन के बिना दे दी गई थी। परिणामस्वरूप, ढुलाई के इस मद में 24.65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया। इस मामले की जांच तकनीकी मूल्यांकन प्रकोष्ठ वाली एक समिति द्वारा की गई है। याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर ढुलाई/सीसा के दावे की अनुमति देकर ठेकेदार

की सहायता की। जाँच के दौरान, याचिकाकर्ता ने माप पुस्तक की प्रति प्रस्तुत की ताकि यह दिखाया जा सके कि उसने विशेष रूप से "कोई सीसा स्वीकृत नहीं" लिखा था।

4. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि उसने दिनांकित 26-03-2012 को एक पत्र (अनुलग्नक- 2), जिसकी सं. 188 थी, लिखा था, यह पत्र विशेष रूप से इस प्रभाग के कार्यपालक अभियंता को संबोधित किया गया था, जिसमें उन्हें सूचित किया गया था कि उन्होंने माप पुस्तिका में "कोई सीसा स्वीकृत नहीं" अंकित किया है ताकि इस संबंध में उचित कार्रवाई की जा सके। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया था कि स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया था, इसलिए, उसका पक्ष यह है कि याचिकाकर्ता को कोई आरोप ज्ञापन जारी करने का कोई औचित्य नहीं था।

5. जांच में, याचिकाकर्ता ने वही बचाव लिया है, जिसके परिणामस्वरूप दिनांकित 27-02-2018 का एक अनुपूरक आरोप ज्ञापन (अनुलग्नक -12), जिसका ज्ञापन सं. 552 है, जारी किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि माप पुस्तिका, जिसमें उसने ऐसी टिप्पणियाँ (कोई सीसा स्वीकृत नहीं) करने का दावा किया है, उसके दो पृष्ठ को फाड़ दिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत इन दो पृष्ठों की प्रति कनीय अभियंता और कार्यपालक अभियंता के पास उपलब्ध उसी माप पुस्तिका से भिन्न है। अनुपूरक आरोप ज्ञापन में यह भी आरोप है कि दिनांकित 23/06/2012 का (उपरोक्त) पत्र का संचार कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इसके बाद जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करके कार्यवाही समाप्त कर दी गई है। ये तथ्य याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई जांच प्रतिवेदन से निकाले गए हैं।

6. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक तिथियां यह हैं कि 09-11-2017 को आरोप ज्ञापन दिया गया है (अनुलग्नक -9)। इस प्रकार कार्यवाही 09-11-2017 को शुरू की गई थी। कार्यवाही के अनुसार जांच प्रतिवेदन 14-12-2018 को प्रस्तुत की गई है। याचिकाकर्ता

की 100% पेंशन रोकने का परिणामी आदेश की सजा दिनांकित 19-12-2019 (अनुलग्नक -18) का है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह दलील दिया है कि सजा का आदेश टिकाऊ नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया का परिणाम है जो अनुचित है और विभागीय कार्यवाही में आवश्यक स्थापित सिद्धांतों तथा प्रक्रिया का उल्लंघन करती है। उन्होंने यह भी दलील दिया है कि कार्यवाही की शुरुआत ही अवैध है, क्योंकि यह एक ऐसी कथित घटना से संबंधित है जो आरोप ज्ञापन जारी होने की तारीख से पांच साल से अधिक पुरानी है। इस परिस्थिति में, आरोप ज्ञापन 1950 के नियमावली के नियम 43 (ख) के प्रावधान (क) (ii) का उल्लंघन है, जिसमें सेवानिवृत्त व्यक्ति के मामले में घटना की कथित तिथि से चार साल के भीतर आरोप ज्ञापन प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

8. दूसरा निवेदन यह है कि जांच में आरोपों को साबित करने के लिए कोई गवाह या सबूत नहीं लाया गया था। दूसरे आरोप ज्ञापन से उत्पन्न होने वाले आरोप भी किसी साक्ष्य या गवाह के संदर्भ में साबित नहीं हुए हैं।

9. तीसरा निवेदन यह है कि पूरे निष्कर्ष तकनीकी मूल्यांकन प्रकोष्ठ की दिनांकित 02-01-2013 की एक कथित प्रतिवेदन पर आधारित हैं, जो *पूर्व-प्रत्यक्ष* अटकलों और अनुमानों पर आधारित है। यही बात किसी भी वैज्ञानिक मूल्यांकन के संदर्भ में नहीं है।

10. अंत में, यह दलील दिया जाता है कि पूरक आरोप ज्ञापन से उत्पन्न होने वाला मुद्दा, कि याचिकाकर्ता ने माप पुस्तिका के प्रासंगिक हिस्से को फाड़ दिया है या दिनांकित 23-06-2012 का पत्र, जिसकी सं. 188 (अनुलग्नक -2) अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है को भी जांच अधिकारी ने इस संबंध में किसी भी साक्ष्य/सामग्री के संदर्भ के बिना स्थापित माना है।

11. जांच में यह निर्धारित करना आवश्यक था कि क्या याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध माप पुस्तिका की प्रति और कनीय अभियंता तथा कार्यपालक अभियंता के पास उपलब्ध प्रति के बीच भिन्नता के लिए याचिकाकर्ता को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है या नहीं यह सामग्री के संदर्भ में तय किया जाना था। इसके बाद ही यह पता लगाया जा सकता था कि किसके पास माप पुस्तिका की सही/वास्तविक प्रति थी। जहाँ तक दिनांकित 23-06-2012 के पत्र, जिसका सं. 188 (अनुलग्नक- 2) है, की बात है, इसकी अनुपलब्धता का आरोप भी याचिकाकर्ता पर पूर्वकल्पित धारणा के आधार पर और किसी सामग्री के संदर्भ के बिना लगाया गया है।

12. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दिया है कि याचिकाकर्ता ने उप-मंडल अधिकारी के रूप में तैनात रहते हुए घोर अनियमितता की है। राज्य के राजकोष को 24.65 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है। भले ही ठेकेदार ने स्थानीय सामग्री का उपयोग किया हो, याचिकाकर्ता ने उसे परिवहन के लिए कथित खर्चों की प्रतिपूर्ति का लाभ उठाने की अनुमति दी है, जो तकनीकी मूल्यांकन प्रकोष्ठ की प्रतिवेदन के अनुसार टिकाऊ नहीं था। याचिकाकर्ता इतने पर ही नहीं रुका। जांच को विफल करने के लिए, उसने माप पुस्तिका को भी फाड़ दिया है और अपने झूठे तर्क को बनाए रखने के लिए दस्तावेज़ को गढ़ा है कि उसने माप पुस्तिका में "कोई सीसा स्वीकृत नहीं" लिखा था। उसने दिनांकित 23-06-2012 के पत्र सं. 188 (अनुलग्नक- 2) है, को भी गढ़ा है, हालांकि उक्त पत्र उतरदाता निगम के कार्यालय में नहीं मिलता है। जांच में आरोप सिद्ध हुए हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय इस मुद्दे की जांच करते समय अपनी समीक्षा को निर्णय लेने की प्रक्रिया तक सीमित रखेगा, न कि स्वयं निर्णय तक, क्योंकि पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार की गई है। इस न्यायालय को निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।

13. आरोप ज्ञापन के संबंध में पहली प्रस्तुति पर, 1950 नियमावली के नियम 43 (ख) के दायरे से बाहर होने के कारण, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह दलील दिया है कि प्रावधान के एक सीधे अध्ययन से, यह स्पष्ट है कि पेंशन रोकने या वापस लेने का आदेश तभी पारित किया जा सकता है, जब दोषी अपने सेवाकाल के दौरान कदाचार या लापरवाही से वित्तीय हानि पहुँचाने का दोषी पाया जाए। हालांकि, ऐसा केवल उसी घटना के संबंध में किया जा सकता है जो ऐसी कार्यवाही शुरू होने से चार साल पहले नहीं हुई हो। वर्तमान मामले में कार्यवाही की शुरुआत आरोप ज्ञापन के माध्यम से हुई है, जो दिनांकित 09-11-2017 का है, जिसका ज्ञापन सं. 1986 (अनुलग्नक- 9) है, और कथित घटना, जैसा कि स्वीकार किया गया है, वर्ष 2012-13 की है. इसलिए, घटना चार साल से अधिक पुरानी है, और इसलिए, उसी से संबंधित आरोप ज्ञापन स्वयं ही टिकाऊ नहीं था।

14. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने नियमावली 1950 के नियम 43 (ख) के संदर्भ में आरोप ज्ञापन की अनुमति देने के लिए न्यायालय को मनाने का प्रयास किया है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कथित कदाचार का पता बाद में और तकनीकी मूल्यांकन प्रकोष्ठ द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद ही चला था। उक्त प्रस्तुति पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया है।

15. यह साधारण कानून है कि जब किसी प्रावधान पर विचार किया जाता है, तो वैधानिक प्रावधानों में उपयोग किए गए शब्दों से उत्पन्न होने वाला सीधा अर्थ सबसे पसंदीदा अर्थ और इरादा होता है। प्रावधान में सामग्री जोड़ना न्यायालय का काम नहीं है। नियमावली 1950 के नियम 43 (ख) का सीधा पठन स्पष्ट है, जैसा कि नीचे उद्धृत प्रावधान से दिखाई देगाः-

> *"**43.** [1] [(ख) राज्य सरकार के पास पेंशन या उसके किसी भी हिस्से को स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए रोकने या*

वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है, और यदि पेंशनभोगी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है, या सेवाकाल के दौरान, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियोजन पर दी गई सेवा भी शामिल है, कदाचार या लापरवाही से सरकार को हुई किसी भी आर्थिक हानि की पूरी या आंशिक राशि की वसूली का आदेश देने का अधिकार भी सुरक्षित रखती है: सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति पर प्रदान की गई सेवा सहित अपनी सेवा के दौरान कदाचार या लापरवाहीः

बशर्ते कि -

(क) ऐसी विभागीय कार्यवाही, यदि उस समय शुरू नहीं की गई थी जब सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले या पुनर्नियुक्ति के दौरान ड्यूटी पर था;

(i) राज्य सरकार की मंजूरी के अलावा इसकी स्थापना नहीं की जाएगी।

(ii) ऐसी घटना के संबंध में होगी जो ऐसी कार्यवाहियों की स्थापना से चार साल से अधिक पहले नहीं हुई थी; और

(iii) ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान या स्थानों पर संचालित किया जाएगा जो राज्य सरकार निर्देशित करे और उन कार्यवाहियों पर लागू प्रक्रिया के अनुसार जिस पर सेवा से बर्खास्तगी का आदेश दिया जा सकता है।

(ख) न्यायिक कार्यवाहियां, यदि उस समय शुरू नहीं की गई थीं जब सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले या पुनर्नियुक्ति के दौरान कर्तव्य पर था, तो खंड (क) के उपखंड (ii) के अनुसार शुरू किया जाएगा; और

(ग) अंतिम आदेश पारित करने से पहले बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।"

16. यदि न्यायालय विलंबित खोज के संबंध में ऐसी व्याख्या को अनुमति देता है, तो इसका अर्थ प्रावधान में नए शब्द जोड़ना होगा, जो वर्तमान मामले में स्पष्ट या मौजूद नहीं हैं।

17. इस मामले में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने ***अशोक कुमार मिश्रा बनाम बिहार राज्य व अन्य*** के मामले में ***(2003) 1 पी.एल.जे.आर. 172*** में प्रतिवेदित किया गया था, अधिकारियों की उस दलील को स्वीकार कर लिया था कि घटना की जानकारी की तारीख को 1950 नियमावली के नियम 43 (ख) में चार साल के प्रतिबंध की गणना का आधार बनाया जाना चाहिए। माननीय एकल न्यायाधीश के निर्णय को खंडपीठ को भेजा गया था, जिसने इस मुद्दे को ***उर्मिला शर्मा व अन्य बनाम बिहार राज्य व अन्य*** के मामले में ***(2010) 3 पी.एल.जे.आर. 845*** में प्रतिवेदित किया गया था, में हल किया। खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि ***अशोक कुमार मिश्रा*** (उपरोक्त) के मामले में निर्णय 1950 नियमावली के नियम 43 (ख) की व्याख्या के संबंध में सही कानून नहीं था और विशेष रूप से उक्त निर्णय को खारिज कर दिया।

18. इस प्रकार उत्तरदाताओं को नियमावली 1950 के नियम 43 (ख) के परन्तुक में निर्दिष्ट चार साल की अवधि को सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार आरोप ज्ञापन अपने आप में टिकाऊ नहीं है।

19. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों में से एक यह है कि जांच में कोई गवाह/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जो जांच प्रतिवेदन को सरसरी तौर पर देखने से स्पष्ट है। पूरी कार्यवाही केवल तकनीकी मूल्यांकन प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत दिनांकित 02-01-2013 की प्रतिवेदन पर आधारित थी। यह प्रतिवेदन याचिकाकर्ता की जानकारी के बिना तैयार की गई थी। प्रतिवेदन किसी भी वैज्ञानिक मूल्यांकन या विश्लेषण के आधार पर कथित हानि/दुरुपयोग का कोई मात्रात्मक निर्धारण भी नहीं करती है। तकनीकी मूल्यांकन प्रकोष्ठ के

सदस्यों ने क्षेत्र का दौरा करके, केवल अपनी आंखों के आकलन के आधार पर ऐसे निष्कर्ष निकाले हैं, जो अटकलों और अनुमानों के अलावा कुछ भी नहीं हैं, उनका अनुमान है कि सामग्री की ढुलाई के लिए उपयोग की गई कुल राशि का 61.2% से कम नुकसान नहीं होगा। कोई निश्चित मात्रात्मक निर्धारण नहीं है, जिसे याचिकाकर्ता पर आरोपित किया जा सके। अधिकारियों ने यह भी जांच नहीं की है कि माप पुस्तिका के फटे होने या दिनांकित 23-06-2012 के पत्र, जिसका ज्ञापन सं. 188 (अनुलग्नक- 2) है, के गुम होने के लिए कौन जिम्मेदार है।

20. इस संबंध में निष्कर्ष भी अनुमानित हैं, ठीक उसी समय से जब पूरक आरोप ज्ञापन दिनांकित 20-02-2018 (अनुलग्नक -12) जारी किया गया। इसके सरसरी तौर पर अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पूरक आरोप ज्ञापन याचिकाकर्ता को निर्णय के बाद सुनवाई का अवसर देने का प्रयास करता है। इसलिए, जांच में दिए गए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं हैं, क्योंकि वे किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं। इन परिस्थितियों में, न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के दायरे और मानकों पर विचार करेगा।

21. राज्य के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन कि न्यायिक समीक्षा केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया तक ही सीमित होनी चाहिए, और स्वयं निर्णय नहीं लेना चाहिए, यह सुस्थापित है, किंतु यह कुछ अच्छी तरह से स्थापित अपवादों के अधीन है। इस संबंध में, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के ***यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम पी. गुनासेकरन*** के मामले में ***(2015) 2 एस.सी.सी. 610*** में प्रतिवेदित किये गए निर्णय का उल्लेख करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह माना है कि विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला रिट न्यायालय भी निर्णय की न्यायिक समीक्षा कर सकता है, लेकिन तब जब निष्कर्ष विकृत हों और किसी भी सामग्री/गवाह के संदर्भ के बिना दिए गए हों।

22. तत्काल मामले में, न्यायालय ने पाया कि जांच अधिकारी का निष्कर्ष इन दोनों दोषों से ग्रस्त है। निष्कर्ष न केवल किसी भी सार से रहित हैं और किसी भी सामग्री या गवाह के संदर्भ के बिना हैं, बल्कि वे अनुमानित भी हैं और अनुमानों और संयोगों पर आधारित हैं, जिससे निष्कर्ष विकृत हो जाते हैं। इसलिए, यह न्यायालय इस तरह की जांच के परिणामस्वरूप सजा को टिकाऊ नहीं पाता है।

23. सजा का आदेश दिनांकित 19-12-2019 का ज्ञापन सं. 2628 (अनुलग्नक - 18), इसलिए, इस न्यायालय द्वारा ऊपर बताए गए कारणों के कारण टिकाऊ नहीं माना जाता है, और इसके द्वारा अपास्त कर दिया जाता है। अधिसूचना सं. 1112 (अनुलग्नक -20) बिहार सी.सी.ए. नियम, 2005 के नियम 24 (2) के तहत याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर, जो अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित अवैध आदेश की पुष्टि के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए इसे भी रद्द कर दिया जाना चाहिए और इसके द्वारा इसे अपास्त किया जाता है। परिणामी आदेश दिनांकित 30-01-2020, ज्ञापन सं. 1416 (अनुलग्नक -21), इसे भी रद्द कर दिया जाता है।

24. राज्य के विद्वान अधिवक्ता, इस पड़ाव पर, यह दलील देते हैं कि अधिकारियों को कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी जाए।

25. ऊपर उल्लिखित निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, नियमावली 1950 के नियम 43 (ख) के परंतुक (क) (ii) में निहित समय सीमा के संबंध में, जो उत्तरदाताओं को चार साल से अधिक पुरानी घटना के लिए कार्यवाही शुरू करने से रोकती है, राज्य को अब वर्ष 2012-13 की कथित घटना के लिए नियमावली 1950 के नियम 43 (ख) के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने की ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है।

26. यदि अधिकारियों के पास कोई अन्य प्रावधान उपलब्ध हो, तो वर्तमान आदेश आड़े नहीं आएगा।

27. रिट याचिका को सभी परिणामी लाभों के साथ स्वीकार किया जाता है।

(मधुरेश प्रसाद, न्यायमूर्ति)

राज किशोर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।